

मध्य प्रदेश शासन
राजस्व विभाग
आदेश

भोपाल, दिनांक 1/4/2021

- ई क्रमांक 27051/2021/सात/शा-6 :- राज्य शासन जिलों की ग्रामीण तहसीलों में शासकीय कार्य संपादित किये जाने के लिये प्रति तहसील 01 (एक) वाहन पूल वाहन के रूप में उपयोग किये जाने हेतु संलग्न परिशिष्ट-1 में उल्लिखित ग्रामीण तहसीलों के लिये कुल 300 वाहन (तीन सौ केवल) किराये पर लिये जाने की स्वीकृति प्रदान करता है। ये किराये के वाहन वित्तीय वर्ष 2021-2022 में किराये पर लिये जायेंगे।
2. उपर्युक्त किराये के वाहन का उपयोग आवश्यक रूप से ग्रामीण तहसील में पूल वाहन के रूप में किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में उक्त स्वीकृत किराये के वाहन का उपयोग किसी अन्यत्र स्थान यथा जिला कार्यालय/नगरीय तहसील/जिला सत्कार शाखा/जिला निर्वाचन शाखा आदि स्थानों पर नहीं किया जायेगा।
3. संलग्न परिशिष्ट-1 में जिलों के नाम के सम्मुख स्वीकृत ग्रामीण तहसील संख्या तथा स्वीकृत किराये के वाहनों की संख्या अंकित है। जिन जिलों में स्वीकृत ग्रामीण तहसील की संख्या के अनुपात में शत-प्रतिशत किराये के वाहनों की स्वीकृति नहीं दी गई है उन जिलों में जिला कलेक्टर द्वारा प्राथमिकता के आधार पर ग्रामीण तहसील का चयन कर उक्त तहसील को किराये का वाहन उपलब्ध कराया जायेगा। जिलों के लिये स्वीकृत किये गये किराये के वाहनों की संख्या से अधिक किराये के वाहन किसी भी स्थिति में नहीं लिये जायेंगे।
4. किराये पर लिये जाने वाले वाहनों के लिये वाहन किराये पर लेने संबंधी वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 11-16/2012/नियम/चार दिनांक 06 अक्टूबर, 2012 तथा 24 दिसम्बर, 2013 द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांत का पालन सुनिश्चित किया जाये। किराये पर लिये जाने वाले वाहन की स्वीकृति ग्रामीण तहसील के लिये है अतः "जीप" सेगमेंट के वाहन को किराये पर लिये जाने को प्राथमिकता दी जाये।
5. उपरोक्त किराये के वाहनों के भुगतान के लिये आवश्यक राशि का बजट आवंटन कार्यालय प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्य प्रदेश द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा तथा इस पर होने वाला व्यय मांग संख्या 08 मुख्य शीर्ष 2053 जिला प्रशासन (094) अन्य स्थापनायें (0619) उप संभागीय स्थापना-31-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां-007-परिवहन व्यवस्था के अंतर्गत विकलनीय होगा।
3. यह स्वीकृति वित्त विभाग द्वारा उनकी ई-नस्ती आर.एन.क्रमांक-27276/2021/ब-5 के नोट-18 दिनांक 19.03.2021 से दी गई सहमति पर आधारित है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा

आदेशानुसार

(जानेश्वर बी.पाटील)

सचिव

मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग

2

पृ. ई क्रमांक 27051/2021/सात/शा-6

भोपाल, दिनांक 1/4/2021

प्रतिलिपि:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, मध्य प्रदेश ग्वालियर
2. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग
3. प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्य प्रदेश
4. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्य प्रदेश, भोपाल
5. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्य प्रदेश
6. समस्त कलेक्टर, मध्य प्रदेश
7. ऑर्डर बुक


सचिव

मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग

परिशिष्ट-1

ग्रामीण तहसीलों के लिये किराये पर लिये जाने वाले वाहनों की स्वीकृति का विवरण

क्रमांक	जिले का नाम	स्वीकृत ग्रामीण तहसीलों की संख्या	किराये पर वाहन लिये जाने हेतु स्वीकृत ग्रामीण तहसीलों की संख्या
1	2	3	4
1	मुरैना	07	04
2	श्यापुर	05	05
3	भिण्ड	09	06
4	ग्वालियर	05	03
5	शिवपुरी	10	08
6	गुना	07	06
7	अशोकनगर	08	08
8	दतिया	05	05
9	उज्जैन	09	06
10	रतलाम	08	05
11	शाजापुर	07	04
12	मंदसौर	08	05
13	नीमच	06	04
14	देवास	09	06
15	आगर-मालवा	04	04
16	इन्दौर	05	03
17	धार	09	07
18	अलीराजपुर	05	05
19	झाबुआ	06	06
20	खरगौन	10	07
21	बड़वानी	09	09
22	खण्डवा	05	03
23	बुरहानपुर	03	02
24	भोपाल	02	02
25	सीहोर	08	05

2

26	रायसेन	10	06
27	राजगढ़	09	08
28	विदिशा	11	08
29	बैतूल	10	10
30	होशंगाबाद	08	05
31	हरदा	06	04
32	सागर	12	08
33	दमोह	07	05
34	पन्ना	09	09
35	छतरपुर	11	09
36	टीकमगढ़	08	06
37	निवाड़ी	03	03
38	जबलपुर	07	04
39	कटनी	08	05
40	नरसिंहपुर	06	04
41	छिन्दवाडा	13	13
42	सिवनी	08	06
43	मण्डला	06	06
44	बालाघाट	11	11
45	डिण्डीरी	03	03
46	रीवा	11	07
47	सीधी	07	06
48	सिंगरौली	05	03
49	सतना	10	06
50	शहडोल	06	06
51	अनूपपुर	04	04
52	उमरिया	07	07
	कुल योग	385	300